## केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों / संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

Quarterly progress report related to progressive use of Official Language Hindi in Central Government Ministries / Departments / Affiliated and Subordinate Offices / Public sector undertakings / Autonomous bodies etc.

## समाप्त तिमाही / Quarter Ending:

## भाग-। (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

Part-I (To be filled in every quarter)

| कायावय का नाम जार पूरा यता                             | •   |               |
|--|---|---------------|
| Name of the office & full address                      |   |               |
|  |   |               |
| कार्यालय कोड / Office Code                             | :   |               |
| संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.                     | :   |               |
| Phone number of the Concern O.L. Officer               |   |               |
| ई-मेल / Email ID                                       | :   |               |
| 1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के                | अंतर्गत जारी कागजात                               |               |
| Documents issued under Section 3(3) of 0               | Official Languages Act, 1963                      |               |
| (क) जारी कागजात की कुल संख्या                          |   | :             |
| (a) Total No. of documents issued                      |   |               |
| (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की                    | ो संख्या  | :             |
| (b) Number of documents issued in                      | n bilingual format                                |               |
| (ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी कि                 | न्ये गये कागजात                                   | :             |
| (c) Out of these, No. of documents                     | s issued only in English                          |               |
| 2. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) /        | Letters received in Hindi (Official Language      | Rule - 5)     |
| (क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख               | या  | :             |
| (a) Total No. of letters received in                   |   |               |
| (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में                 | दिए गए  | :             |
| (b) Out of these, No. of letters rep                   | olied in Hindi                                    |               |
| (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी                  | में दिए गए  | :             |
| (c) Out of these, No. of letters rep                   | olied in English                                  |               |
| (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जा                    | ने अपेक्षित नहीं थे                               | :             |
| (d) How many of them were not r                        | equired to answer                                 |               |
| 3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए | ए जाने की स्थिति ('क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित व | कार्यालयों के |

न् लिए) No. of letters received in English but replied in Hindi (For offices situated in 'A' & 'B' Regions)

|                 | अंग्रेजी में प्राप्त कुल | इनमें से कितनों के       | इनमें से कितनों के उत्तर   | इनमें से कितनों के उत्तर  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 | पत्रों की संख्या         | उत्तर हिंदी में दिए गए   | अंग्रेजी में दिए गए        | दिए जाने अपेक्षित नहीं थे |
|                 | Total No. of letters     | Out of these, No. of     | Out of these, No. of       | How many of them were     |
|                 | received in English      | letters replied in Hindi | letters replied in English | not required to answer    |
|                 | 1                        | 2                        | 3                          | 4                         |
| 'क' क्षेत्र से  |                          |                          |                            |                           |
| From 'A' Region |                          |                          |                            |                           |
| 'ख' क्षेत्र से  |                          |                          |                            |                           |
| From 'B' Region |                          |                          |                            |                           |

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा / Details of total letters issued :

|                                | हिन्दी में | अंग्रेजी में | भेजे गए पत्रों की कुल संख्या |
|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------|
|                                | In Hindi   | In English   | Total no. of letters issued  |
|                                | 1          | 2            | 3                            |
| 'क' क्षेत्र को / To Region 'A' |            |              |                              |
| 'ख' क्षेत्र को / To Region 'B' |            |              |                              |
| 'ग' क्षेत्र को / To Region 'C' |            |              |                              |
| कुल / Total                    |            |              |                              |

5. तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां Notings written on files/documents during the quarter

(क) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

(a) Number of Pages of Notings written in Hindi

(ख) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या :

(b) Number of Pages of Notings written in English

(ग) कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या :

(c) Total Number of Pages of Notings

6. हिन्दी कार्यशालाएं / Hindi Workshops :

| तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय<br>कार्यशालाओं की संख्या<br>Number of full day workshops | इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित<br>Number of officers trained |                      |
|--|---|----------------------|
| conducted during the quarter   | अधिकारी / Officers  | कर्मचारी / Employees |
| 1  | 2   | 3                    |
|  |   |                      |

नोट : कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से काम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ।

Note: All officers of the office should be trained at least once in 2 years.

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन Organisation of the meeting of the Departmental/Organizational OLIC

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि (केन्द्रीय प्रधान कार्यालय की)

(a) Date of the meeting of the OLIC (of Central Head office)

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

(b) Number of OLICs constituted in subordinate offices

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या

(c) Number of meetings held during this quarter

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत क्या हिंदी में जारी किये गए ?

(d) Whether agenda & minutes of the meeting were issued in Hindi?

8. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि (केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

Date of the Meeting of the Hindi Advisory Committee (Only for ministries/departments)

| 9. | तिमाही के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां (अधिकतम सीमा : 250 अक्षर)     |
|----|--|
|    | Specific achievements during quarter (Maximum Limit : 250 Words) |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है । The above mentioned information is made on the basis of available records and is correct as per my knowledge.

विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :
Signature of the chairman of OLIC of the department
अध्यक्ष का नाम / Name of the Chairman :
पदनाम / Post :
एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं. / Phone No. with STD Code :

फैक्स नं. / Fax No. : ई-मेल का पता / Email ID :

नोट :- कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए । Note : No column should be left blank and clear information should be given.